

13.09.22

पत्रावली सार्वजनिक के द्वारा एक सार्वजनिक पत्र
 पेश करने पर पेशी में ली गई। सार्वजनिक
 ने स्वयं उपस्थित होने निवेदन किया
 कि पत्रकारों का आपस में बर्ताव उनके
 के कारण इसकाद में आगे कोई कार्यवाही
 नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस काद
 को नोटिस के आदेश पर खारिज किया
 जाने। वकील सार्वजनिक की उपस्थित। अक्टोबर
 किया गया। सार्वजनिक का निवेदन स्वीकार
 करते हुए यह काद पर नोटिस के आदेश
 पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
 पत्रावली काद तत्काल तमाम होकर हाथ
 फेरल हो।

(अमित कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 घड़साना

आगे कोई
 कार्यवाही
 चाहते
 हैं
 प्रमाण
 पत्रावली
 के
 लिए